

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार ,07 अप्रैल, 2015 ई0 चैत्र, 17, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 108/xxxvi(3)/2015/26(1)/2014 देहरादून, 07 अप्रैल, 2015

<u>अधिसूचना</u> विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2015 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 18वर्ष 2015)

विषय सूची

===== धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय — 1 प्रारम्भिक	
1. 2. 3.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ लागू होना परिभाषायें	
	अध्याय — 2 बोर्ड की स्थापना	
4. 5. 6.	बोर्ड की स्थापना बोर्ड की संरचना अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति	
7. 8. 9. 10. 11. 12.	अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य सदस्यों की पदाविध और सेवा की शर्तें अध्यक्ष या अन्य सदस्य के लिये अनर्हता सहयुक्त करने की शक्ति बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधमान्य न होना बोर्ड का सिचव बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण	
	अध्याय — 3 बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आव	iटन
14. 15.	बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कार्य	
	अध्याय – 4 रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और निर्युा	क्तयां
16. 17.	रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना बोर्ड द्वारा चयन	

अध्याय — 5 बोर्ड के समक्ष कार्य

18.	बैठक में निर्णय	
19.	गणपूर्ति	
		अध्याय – 6 वार्षिक रिपोर्ट
20.	वार्षिक रिपोर्ट	
		अध्याय — 7 प्रकीर्ण
21.	नियम बनाने की शक्ति	
22.	विनियम बनाने की शक्ति	
23.	सद्भावना से किये गये व	गर्य का संरक्षण
24.	निर्देश जारी करने की :	शक्ति

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 18 वर्ष 2015)

चिकित्सा सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम और 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड प्रारम्भ अधिनियम, 2015 है।
 - (2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- लागू होना

 2. इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले चिकित्साधिकारी के समूह ''ख'' के समस्त पदों तथा प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, नर्सिग कॉलेज स्कूलों के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चिकित्सा सेवा के पैरामेडिकल पदों को भी बोर्ड की परिधि में रख सकती है अथवा हटा सकती है।
- परिभाषाएं 3. जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में
 - (क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से चिकित्सा सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ख) ''बोर्ड'' से धारा 5 के अधीन गठित उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत हैं:
 - (ग) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (घ) ''समूह 'ख' के पद'' से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवा में समय—समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;
 - (ड.) ''सदस्य'' से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी सम्मिलित है,
 - (च) ''सचिव'' से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।

(छ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलेण्डर वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय– दो बोर्ड की स्थापना

- बोर्ड की स्थापना 4.
- ऐसे दिनांक से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत किया जाय एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के ज्ञात नाम से जाना जायेगा।
- बोर्ड की संरचना 5.
- (1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो से अनिधक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय—समय पर नियुक्त करे।

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

- (2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें।
- अध्यक्ष और सदस्यों 6. की नियुक्ति

अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

- (1) अध्यक्ष की नियुक्ति चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राष्टीय / प्रादेशिक स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
- (2) चयन बोर्ड में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा निदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड को पदेन सदस्य होंगे।
- (3) चयन बोर्ड में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से 4 से 5 विशेषज्ञों को यथावश्यकता सहयोगित सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
- अध्यक्ष और अन्य 7. सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य
- (1) अध्यक्ष बोर्ड के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी—
- (क) एक या अधिक सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से

समितियों या उप समितियों का गठन करना;

- (ख) सदस्यों, सिमतियों और उप—सिमतियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।
- (ग) बोर्ड और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।
- (घ) सदस्यों और बोर्ड के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।
- (2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि 8. और सेवा की शर्तें

(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगाः

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा;

[परन्तु यह और कि बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से छः वर्ष तक कार्यरत रहेगा।]¹

- (2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।
- (3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीन द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
- (4) अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबन्धन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी. जैसा कि विहित किया जाय।

6

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या २७ वर्ष २०१६ की धारा २ द्वारा अंतःस्थापित।

- अध्यक्ष या अन्य सदस्य 9. के लिये अनर्हता
- अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह —
 - (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये;
 - (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो
 - (ग) अस्वस्था मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
- सहयुक्त करने की 10. शक्ति

बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाय गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

- बोर्ड की कार्यवाहियों 11. का अवधिमान्य न होना
- बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि—
 - (क) बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;
 - (ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या
 - (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पडता है।

- बोर्ड का सचिव
- 12. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया बोर्ड का एक सचिव होगा जो बोर्ड के कार्यालय का प्रधान होगा।
 - (2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये।
- बोर्ड के आदेशों का 13. अधिप्रमाणीकरण
- बोर्ड के सभी विनिश्च और आदेश सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

बोर्ड की शक्तियां और 14. (1) बोर्ड की निम्नलिखित और कर्तव्य होंगे, अर्थात-

कर्तव्य

- (क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग—दर्शक सिद्धान्त तैयार करना:
- (ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।
- (ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।
- (घ) ऐसे अन्रु कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायें।
- (2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

बोर्ड द्वारा किये जाने 15. वाले कार्य बोर्ड अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य बोर्ड द्वारा किया गया कार्य समझा। जायेगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय-चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित 16. किया जाना

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान बोर्ड के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्सम प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्यश्रीयों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड की देगा।
- (2) रिक्तियों ऐसी रीति से बोर्ड को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाय।

बोर्ड द्वारा चयन 17.

(1) बोर्ड धारा 16 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति

से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित कम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय-पांच

बोर्ड के समक्ष कार्य

- बैठक में निर्णय 18. बोर्ड की किसी बैठक ने सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- गणपूर्ति 19. बोर्ड की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थिगत की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट 20. बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-सात

प्रकीर्ण

- नियम बनाने की शक्ति 21. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
- विनियम बनाने की 22. (1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने शिक्त कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षायें आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके

अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये 23. कार्य का संरक्षण किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

निर्देश जारी करने की 24. शक्ति राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

THE UTTARAKHAND MEDICAL SERVICE SELCTION BOARD ACT, 2015

[UTTARAKHAND ACT NO. 180F 2014]

AN ACT

to provide for the establishment of the Medical Service Selection Board for certain categories for matter connected therewith and incidental thereto.

It is hereby enacted in the 66th Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1 PRELIMINAY

Short title and Commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Medical Service Selection Board Act, 2015.
 - (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Applicability

2. The provisions of this Act, shall apply for all Group 'B' of Medical Officer and to the Professors, Assistant Professors, Associate Professors and to the posts of Medical College, Nursing College Schools falling under the purview of the Public Service Commission. The State Government may place or remove the Paramedical post of Medical service from the purview of the Board by notification.

Definition

- 3. In this Act, unless the context otherwise requires -
 - (a) "Appointing authority" in relation to Medical Service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;
 - (b) **"Board"** means the Uttrakhand Medical Services Selection Board constituted under section 4;
 - (c) "Chairman" means the Chairman of the Board;
 - (d) "Group 'B' post' means the post specified as such by the State Government from time to time:
 - (e) "Member" means the member of the Board and includes Chairman;

- (f) "Secretary" means the Secretary of the Board;
- (g) "year of recruitment" means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar year.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE BOARD

Establishment of 4. the Board

On from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Board to be known as the Uttrakhand Medical Service Selection Board.

Composition of 5. the Board

(1) The Board shall consist of a Chairman and such other Member not exceeding two as the State Government may from time to time appoint;

Provided that member shall be eligible or appointment as /Chairman but shall not be eligible for reappointment or continuance in office either as Member of Chairman after the period of his term.

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be until the Chairman has resumed his duties, be performed by member as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of 6. Chairman and Member

- (1) The Chairman shall be a person of national/State repute in the field of medical health and medical education, shall be appointed by the State Government.
- (2) Director General Medical health and Family Welfare of Uttrakhand and Director Medical Education Government of Uttrakhand shall be designated members of the Board.
- (3) The Board may co-opt 4 to 5 specialists from the field of Medical Health.

Powers and duties 7. of Chairman and other Member

- (1) The Chairman shall be incharge of the administration of the Board and shall have the power to-
 - (a) Constitute Committees or sub-committees from amongst the Member with or without one of more non-member;
 - (b) allocate to Member, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this Act or rules or regulation made there under;

- (c) co-ordinate the working of the Board and its Member;
- (d) grant leave to and approve the tour programmes of Member and officers of the Board;
- (2) The Member shall assist the Chairman in conduction the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this Act, the rules or regulation made there under, or by the Chairman under clause (b) of sub-section (1).

Terms of Office 8. and conditions of service of Member

(1) The Chairman or every other Member shall hold office for a term of six years from the date he assumes his office;

Provided that no member including the Chairman shall hold office as such after he as attained the age of seventy years or he has completed his term, whichever is earlier.

[Provided further that the first Chairman of the Board shall be appointed for six year from the date of his appointment.]¹

- (2) The Chairman or other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.
- (3) The Chairman or other member may he removed from his office by an order made by the State Government on the ground that he has acquired any of the disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.
- (4) The salary and allowance payable to, and other terms and conditions of the Chairperson or the members shall be such as may be prescribed.

9.

Disqualification for being the Chairman or other Member A person shall be disqualified for appointment as Chairman or other member if he-

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence

¹⁻ Inserted by section 2 of UK Act no 27 of 2016.

which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power to 10. Associate

The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provision of this Act.

Proceedings of the 11. Board not to be invalidated

No act or proceeding to the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground of –

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Board;
- (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Secretary of the 12. Board

- (1) There shall be a Secretary of the Board appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Board.
- (2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulations made under this Act or as may be directed by the Chairman.

Authentication of 13. the orders of the Board

All the decisions and orders of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary or may other officer authorisd by the Board in this behalf.

CHAPTER-III

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD AND ALLOCATION OF BUSINESS

Powers and duties 14. of the Board

- (1) The Board shall have the following powers and duties, namely-
- (a) to prepare guidelines on matters relating to method of recruitment;
- (b) to conducted examinations, hold interview and make selection of candidates;
- (c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);
- (d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.
- (2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Board shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf;

Business to be 15. transacted by Board

The Board shall, with previous approval of the State Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the chairman or other members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Board;

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER-IV

NOTIFICATION OF VACNACIES AND APPOINTMENT

Notification of 16. Vacancies

(1) The appointing authority shall determine and intimate to the Board the number of vacancies to be filled through the Board

during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf;

(2) The Vacancies shall be notified to the Board in such manner as may be prescribed.

Selection by the 17. Board

- (1) The Board shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 16, hold examination or interview or both and prepare in the manner prescribed a list of the candidates who are found suitable.
- (2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER-V

BUSINESS BEFORE THE BOARD

Decision in 18. meeting

All matters at any meeting of the Board shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence. The member presiding shall have a second or casting vote.

Quorum

19. The quorum for a meeting of the Board shall be one-half of the total number of members;

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER-VI ANNUAL REPORT

Annual Reports 20. The Board shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before the

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Power to make 21. The State Government may, by notification, make rules for rules carrying out the purposes of this Act.

house of the State Legislature.

- Power to make 22. regulations
- (1) The Board may, with the previous approval for the State Government make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this Act.
- (2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.
- Protection of 23. action taken in good faith
- No, suit prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be under this Act.
- power to issue 24. direction
- The State Government may from time to time issue directions not inconsistent with the Act.
